प्रपत्र–6

"खाता दुरुस्ती आवेदन–पत्र"

(राज. भू. राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 136)

2022/251 ✓

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषयः– राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम मिण्डोलिया की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 124 में राजू पुत्र जगदीश जाट मय(?) दर्ज है जिसे राजकुमारी जाट कराना चाहती हूं।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
राजकुमारी जाट
(राजू कुमारी जाट)

दिनांकः–

रिपोर्ट–पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम मिण्डोलिया के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 124 में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र जगदीश दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न दस्तावेज व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम राजकुमारी पुत्री जगदीश जाट है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 मिण्डोलिया
24.10.2021

पटवारी मिण्डोलिया

रिपोर्ट तहसीलदार टीकोला

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी मिण्डोलिया व भू0अ0नि0 मिण्डोलिया एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम मिण्डोलिया की जमाबन्दी सम्वंत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 124 में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र जगदीश के बजाय राजकुमारी पुत्री जगदीश किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार / नायब तहसीलदार
टीकोला जिला भीलवाड़ा

108/22
17/6/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार टीकोला ग्राम मिण्डोलिया जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 124 में दर्ज प्रार्थी का नाम राजू पुत्र जगदीश के स्थान पर राजकुमारी पुत्री जगदीश संशोधन के आदेश दिये जाते है।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)